कार्यालय – उप जिलाधिकारी, चौखुटिया
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चौखुटिया

उपखण्ड चौखुटिया परिक्षेत्र के अल्मोड़ा वन प्रभाग की द्वाराहाट रेंज के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** पड्वाखाल से पान गाव .... **(Total Length** 29.6 **KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.888 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.888 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील –) की दिनांक 13.03.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी .... अध्यक्ष।
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य।
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य।
4. श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के द्वाराहाट रेंज अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** पड्वाखाल से पान गाव .... **(Total Length** 29.6 **KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.888 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु मेंअनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (.................) अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....वन प्रभाग के द्वाराहाट रेंज अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** पड्वाखाल से पान गाव .... **(Total Length-. ....KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि .... है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
द्वाराहाट

तहसील............ / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
द्वाराहाट

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from पडुलीखाल से पान गाव (Total Length 29.6 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.888 है0 वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की पत्र सं0 11–9 /98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंवटित 0.888 है0 वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

/प्रयोक्ता

तहसीलदार
तहसीलदार
चौखुटिया (अल्मोड़ा)
6-3-2018

उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

तहसीलदार

For Vindhya Telelinks Ltd.
Vaibhav Shah
DGM Project